भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन्स ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 8 में,—

(1) उपनियम (2) के नीचे दिये गये टिप्पण का लोप किया जाय,

(2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(6) सफलता पूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.".

(3) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिसे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंटस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 3-15-74-3-एक, दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

(Published in "Madhya Pradesh Gazette Part-4" dated 20th December 1974)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
General Administration Department

Bhopal the 9th December, 1974

F. No. 3-15-74-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 8—

(1) the note below sub-rule (2) shall be omitted;

(2) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.".

(3) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (1), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servants (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANAND MOHAN, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय:—परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में.

संदर्भ:—इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3/15/74/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जाएं एवं उनका वेतननिर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय. इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अत: परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है:—

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए. यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें <u>परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियां, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियां मिलती रहें.</u>

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपयुक्त नियम के

अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है. जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए. जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे.

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवाएं उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए.

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (7) का प्रावधान लागू होगा. यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो. इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा.

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपयुक्त अनुदेश के अनुसार निपटायें जायें, जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके.

3. जहां तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतनवृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है.

हस्ता./-
(जी. बैंकन्ना)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1

भोपाल, दिनांक 30 मई 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

3. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 288/636/1(3) 79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसको परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है. महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि:—

(1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया है और न ही सेवा से पृथक् करने के आदेश प्रसारित किये है और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र किया गया है.

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गए है उनके संबंध में यह है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थाई सेवा आरंभ करेंगे.

3. महालेखाकार द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि:—

(1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा. ऐसे उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे. उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए है.

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की उक्त नियम के उप नियम ( ) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा. परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी.

4. सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें.

हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 289/636/1(3)79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण
   के निजी सचिव/निजी सहायक.
4. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को उनके द्वारा विशेष सचिव वित्त विभाग को संबोधित अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक टी. एम. 1/तीन/1(3), दिनांक 30-3-1979 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 147/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण-पत्र के आधार पर स्थायी मानना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा. शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 148/380-1(3)80

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन